मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, मेट्रो प्लाज़ा, ई–5, अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462016
फोन : 0755–2430154, फेक्स 0755–2981055
ई–मेल-secretary@mperc.nic.in , वेबसाइट– www.mperc.in

क्रमांक : मप्रविनिआ/ 2022/2669 भोपाल दिनांक 21/12/2022

सार्वजनिक सूचना

(याचिका क्र. 84/2022)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा '' मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2021 (आरजी–35 (III) वर्ष 2021) (इसके पश्चात इसे टैरिफ विनियम कहा जावेगा) अधिसूचित किया गया।

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इन्दौर,, एम.पी. पावर मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (जिन्हें ''याचिकाकर्ता'' या पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उल्लेखित किया गया है) राज्य शासन की पूर्ण स्वामित्व की कंपनियां है। एम.पी. पावर मैनेजमेंट कं. लि. जबलपुर राज्य की उपरोक्त तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है।

टैरिफ विनियम, 2021 के विनियम 7.2 के प्रावधान के अनुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 की पुनरीक्षित समग्र राजस्व आवश्यकता के अनुमोदन एवं खुदरा प्रदाय की दरों के निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष दिनांक 30 नवंबर 2022 को एक याचिका दायर की है। आयोग ने दिनांक 06.12.2022 को आयोजित सुनवाई में इस याचिका को स्वीकार किया है। आयोग ने, एतद् द्वारा, उक्त याचिका पर सुझावकर्ताओं के सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 की पुनरीक्षित समग्र राजस्व आवश्यकता का सारांश निम्नांकित है :–

तालिका 1 : वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु प्रस्तुत पुनरीक्षित समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता :

सभी आंकड़े रू करोड़ में

विवरण	म.प्र. राज्य	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र
विद्युत क्रय की लागत (एक्स बस, वितरण कंपनियों को आवंटित एम.पी.पा. मै.कं. की लागत सहित)	35022	7694	10472	16855
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार				
अन्तः राज्यीय पारेषण प्रभार एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार	4335	1289	1502	1544
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	921	336	341	245
कर्मचारी व्यय	4190	1443	1326	1422
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	409	129	134	145
अवमूल्यन	1037	296	395	346
ब्याज एवं वित्त प्रभार	1090	413	446	231
अन्य ऋण, बट्टे (पूर्व अवधि एवं संदिग्ध ऋण)	6	2	2	2
अंशपूंजी पर लाभ	687	235	277	175
अंशपूंजी पर लाभ सहित कुल व्यय	**47698**	**11836**	**14897**	**20965**
घटायें: अन्य आय (विलम्ब भुगतान प्रभार को छोड़कर)	572	186	183	203
कुल राजस्व आवश्यकता	**47126**	**11650**	**14713**	**20762**
म.प्र. जेनको के सत्यापन का प्रभाव *	(1016)	(339)	(339)	(339)
ट्रांसको के सत्यापन का प्रभाव #	**144**	**73**	**49**	**22**
वितरण कंपनियों के वित्त वर्ष 2021–22 के सत्यापन	3276	2436	1957	(1117)

विवरण	म.प्र. राज्य	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र
का प्रभाव **				
सत्यापन राशि को शामिल कर कुल राजस्व आवश्यकता (अ)	**49530**	**13821**	**16380**	**19329**
वर्तमान दरों पर विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व (ब)	**47992**	**13395**	**15870**	**18727**
कुल राजस्व अंतर (अ– ब)	**1537**	**425**	**510**	**602**
प्रस्तावित दरों पर विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व	**49530**	**13821**	**16,380**	**19329**
प्रस्तावित दरों पर अंतर	**0**	**0**	**0**	**0**

** वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये म..प्र. जेनको की सत्यापन याचिका क्र. 66/2022 के अनुसार*

#वित्तीय वर्ष 2020–21 के म..प्र. ट्रांसको के पारेषण टैरिफ हेतु याचिका क्र. 01/2022 मे आयोग क सत्यापन आदेश दिनांक 16.08.2022 के अनुसार

*** वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वितरण कम्पनियों की सत्यापन याचिका क्र. 83/2022 के अनुसार*

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान दरों पर विद्युत के खुदरा विक्रय से रू 47992 करोड़ के राजस्व का अनुमान लगाया है जिससे रू 1537 करोड़ का राजस्व अंतर रहेगा। याचिकाकर्ताओं ने इस राजस्व अंतर की पूर्ति वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये दरों के पुनरीक्षण से किये जाने का प्रस्ताव किया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के राजस्व अन्तर रूपये 1537 करोड़ की भरपाई करने हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा 3.20% की दर वृद्धि के साथ प्रस्तावित दरों पर श्रेणीवार वृद्धि निम्नानुसार हैः–

तालिका 2 : म.प्र. राज्य के लिये वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये प्रस्तावित दरों का राजस्व अंतर :

टैरिफ श्रेणी		विक्रय	प्रचलित दरों पर राजस्व	प्रस्तावित दरों पर राजस्व	प्रस्तावित दरों पर अतिरिक्त आय
		मि.यू	रू करोड़	रू करोड़	रू करोड़
एल.वी 1	घरेलू	18970	12188	12529	341
एल.वी 2	गैर घरेलू	3897	3695	3834	140
एल.वी 3	सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्र एवं पथप्रकाश	1402	989	1021	31
एल.वी 4	निम्नदाब उद्योग	1699	1516	1564	48
एल.वी 5	कृषि तथा संबद्ध गतिविधियॉ	28693	17236	17788	552
एल.वी 6	ई व्हीकल चार्जिंग/ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन	**0.47**	0.35	0.32	(0.02)
	योग (निम्न दाब)	**54662**	**35623**	**36737**	**1113**
एच. वी 1	रेल्वे कर्षण	111	80	83	3
एच. वी 2	कोयला खदाने	506	433	448	15
एच. वी 3.1	औद्योगिक	9749	7582	7858	276
एच. वी 3.2	गैर औद्योगिक	1191	1063	1100	37
एच. वी 3.3	शॉपिंग मॉल	109	90	93	3
एच. वी 3.4	गहन पावर उद्योग	2427	1294	1347	53
एच. वी 4	मौसमी	21	21	21	1
एच. वी 5	उच्च दाब सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्र, सिंचाई एवं कृषि संबंधित अन्य उपयोग	1823	1437	1482	45
एच. वी 6	थोक आवासीय उपयोगकर्ता	425	324	317	(7)
एच. वी 7	ग्रिड से संयोजित जेनरेटरों के लिए विद्युत आवश्यकता	28	30	31	1
एच. वी 8	उच्च दाब– ई व्हीकल चार्जिंग/ ई रिक्शा चार्जिन्ग स्टेशन	23	16	15	(1)
	योग (उच्च दाब)	**16412**	**12369**	**12793**	**424**
	योग (उच्च दाब + निम्न दाब)	**71074**	**47992**	**49530**	**1537**

उपरोक्त प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं द्वारा टैरिफ की संरचना तथा उसकी सामान्य निबंधन एवं शर्तों में भी कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किये गये हैं जो कि याचिका के अंतर्गत विस्तारपूर्वक वर्णित किये गये हैं । मुख्य परिवर्तन प्रस्ताव निम्नानुसार है :

1. *एलवी–1.2 घरेलू टैरिफ में टैरिफ स्लैब का सरलीकरण ''300 यूनिट से ऊपर'' स्लैब को हटाकर और टैरिफ स्लैब ''151–300 यूनिट'' को ''150 यूनिट से ऊपर'' के रूप में संशोधित करके प्रस्तावित किया गया है।*

2. *टैरिफ उप–श्रेणियों में युक्तिकरण और कमी लाने के उदेश्य से यह प्रस्तावित है कि एलवी 2.2 टैरिफ अनुसूची में ''मेला के लिए मल्टी–पॉइंट अस्थायी कनेक्शन सहित अस्थायी कनेक्शन'' के लिए निम्न–दाब टैरिफ की सामान्य शर्तो एवं निबंधन के अनुसार संदर्भित श्रेणी की सामान्य दरों के @ 1.25 गुना बिल किया जा सकता है।*

3. *टैरिफ की जटिलता को कम करने के उदेश्य से चूंकि LV–5.1 एवं LV–5.4 दोनो ही उप–श्रेणियों का टैरिफ समान है अतः इनके विलय का प्रस्ताव किया गया है। LV–5.1 टैरिफ श्रेणी को फ्लैट रेट उपभोक्ताओं तक विस्तारित करने से भी LV – 5.4 श्रेणी की आवश्यकता नहीं होगी।*

4. *ई–वाहनों/रिक्शा पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए एलवी –6 और एचवी–8 टैरिफ शेड्यूल में सिंगल पार्ट टैरिफः भारत सरकार द्वारा जारी ''इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर – संशोधित समेकित दिशा निर्देश और मानक'' के अनुसार अधिसूचना सं. 12/2/2018 –ईवी(मॉम्प नं. 244247) दिनांक 14 जनवरी 2022 के तहत एलवी–6 और एचवी–8 के लिए सिंगल पार्ट टैरिफ प्रस्तावित है।*

5. *एचवी–3.4 के लिए प्रयोज्यता खंड में संशोधन : विद्युत गहन उद्योगों के लिए टैरिफ उप–श्रेणी को केवल विद्युत भट्टियों का उपयोग करके ''लोहे और स्टील के पिघलने और गर्म करने'' के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है।*

6. *टैरिफ संरचना के सरलीकरण और युक्तिकरण के उदेश्य से टैरिफ उप–श्रेणियों एचवी–6.1 और एचवी–6.2 का विलय प्रस्तावित है।*

7. टैरिफ उप श्रेणी एचवी 3.3 एवं एचवी 6.1 क्रमशः शापिंग मॉल एवं थोक घरेलू उपयोग को टैरिफ के सरलीकरण के उदेश्य से 33 के वी उपभोक्ता श्रेणी में विलय करने का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि इस श्रेणी में 132 के.वी. तथा 220 के.वी. स्तर पर कोई भी उपभोक्ता नहीं है।

8. *उच्च–दाब उपभोक्ताओं के लिए केवीएएच टैरिफ की शुरूआत : लाइसेंसधारी और उपभोक्ता दोनों के लिए केवीएएच बिलिंग पर बदलने के विभिन्न लाभों को देखते हुए केवीएएच टैरिफ को कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित किया गया है।*

9. *डीटीआर मीटर के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त करने वाले क्लस्टर झुग्गी/झोपड़ी उपभोक्ताओं को पृथक–पृथक मीटर प्रदान किए जाने तक, झुग्गी/झोपड़ी के समूहों के लिए डीटीआर मीटर के माध्यम से आपूर्ति के लिए टेरिफ जारी रखने का प्रस्ताव है।*

10. *मेट्रो रेल के कर्षण–भार एवं गैर–कर्षण भार के उद्देश्य से अपेक्षित नवीन कनेक्शन हेतु मेट्रो रेल के लिए नई अलग टैरिफ श्रेणी प्रस्तावित की गई है।*

इच्छुक व्यक्ति सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां/टीप/सुझाव तीन प्रतियों में सचिव, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल मेट्रो प्लाजा ई–5 अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016 को प्रेषित कर सकते हैं जो कि दिनांक.16.01.2023 तक नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। आपत्तियां/टीप/सुझावों की प्रति संबंधित वितरण कम्पनी एवं एम.पी.पी.एमसी.एल को ई–मेल setracez@yahoo.co.in (पूर्व क्षेत्र), cecomwz@gmail.com (पश्चिम क्षेत्र) एवं regulatorycellcz@gmail.com (मध्य क्षेत्र) एवं cgmrmmppmcl@gmail.com (एम.पी.पी.एम.सी.एल.) पर ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जावे। जिसकी हार्ड कॉपी भी प्रेषित की जावे। आपत्तियां/टीप/सुझावों की अग्रिम प्रतियां ई–मेल (secretary@mperc.nic.in) के द्वारा भी प्रेषित की जा सकती है जिनकी मूल प्रतियां दिनांक 16.01.2023 तक नियामक आयोग कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। दिनांक 16.01.2023 के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियां/टीप/सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

याचिका की प्रति (अंग्रेजी/हिन्दी रूपांतरण) इच्छुक व्यक्ति द्वारा दिनांक 23.12.2022 से किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक नियामक आयोग के कार्यालय अथवा मुख्यालय एम.पी. पावर मैनेजमेंट कं. लि. ब्लॉक नं. 15, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर अथवा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. ब्लॉक नं. 7, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर अथवा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. पोलोग्राउण्ड, इन्दौर अथवा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., गोविन्दपुरा, भोपाल से एक प्रति के लिए रू. 1000/– के भुगतान नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट देय "उप महाप्रबंधक (लेखा) एम.पी. पावर मैनेजमेंट कं. लि., जबलपुर" अथवा "क्षेत्रीय लेखाधिकारी, जबलपुर वृत्त, म.प्र. पूर्व क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर" अथवा "क्षेत्रीय लेखाधिकारी, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. इन्दौर" अथवा "क्षेत्रीय लेखाधिकारी, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. भोपाल", क्रमशः के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । याचिका की प्रति डाक द्वारा रूपये 100/– के अतिरिक्त भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति नियामक आयोग की वेबसाइट www.mperc.in तथा याचिकाकर्ताओं की वेबसाइट www.mppmcl.com, www.mpez.co.in, www.mpwz.co.in एवं www.mpcz.co.in पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है।

आयोग द्वारा दिनांक 23.01.2023, 24.01.2023 एवं 25.01.2023 को क्रमशः मध्य प्रदेश पूर्व क्षे.वि.वि.कं. लि., जबलपुर, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., इन्दौर एवं मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., भोपाल के लिए प्रातः 11.00 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत किए हैं, वे अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. आयोग सचिव को ई–मेल secretary@mperc.nic.in पर भेजकर, उक्त जनसुनवाई में आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गाईड लाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के आदेशानुसार
सचिव